न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–138/2020

मोहम्मद कैफ दतक पुत्र जाकिर हुसैन नाबालिग जरिये कुदरती वली माता काफिया पत्नी रमजान मोहम्मद जाति कलाल निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

जाकिर हुसैन पुत्र यासीन मोहम्मद जाति कलाल निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

उपस्थित–श्री बनवारीलाल गौड़ अधिवक्ता वादी
श्री रुपराम कासनियां अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 22.01.2021

वादी मोहम्मद कैफ ने जरिये माता, प्रतिवादी के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादी के नाम से चकनं0 1 एमकेएस बी के खाता सं0 37/80 में कुल 3.036 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी, प्रतिवादी के गोद चला गया था तथा बचपन से ही वादी, प्रतिवादी के पास रह रहा है। प्रतिवादी मुझ वादी का दतक पिता है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी जो कि प्रतिवादी की खातेदारी आराजी है। प्रतिवादी द्वारा वादी को वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी घरू बटवारां में वादी को दे दी थी जिस पर वादी जरिये कुदरती वली काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है। इसके लिए प्रतिवादी द्वारा जो उसके पास अचल सम्पति स्वरुप भूखण्ड था वह भी वादी को दे दिया था। गोदनामा की फोटो कॉपी संलग्न वाद पत्र है।वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व वादी अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आराजी वादी के नाम से दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादी के नाम की आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं0 1 एमकेएस बी के खाता सं0 37/80 में से प्रतिवादी जाकिर हुसैन का नाम कलमजन करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कतई इन्कार हो गया। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने सहमति का जबाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादी मुझ प्रतिवादी के बचपन में गोद आ गया था, वादी मुझ प्रतिवादी का दतक पुत्र है। वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी मुझ प्रतिवादी द्वारा वादी को बटवारां मे दी हुई है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है।वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व वादी अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है। इसलिए वाद पत्र की दफा 2 मे

दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 1 एमकेएस वी के खातासं0 37/80 में से मुझ प्रतिवादी का नाम कलमजन किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई उज्र व एतराज नही है।जबाबदावा के साथ पक्षकारान के आई.डी. की फोटो प्रति पेश की गई व वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में माता का शपथ पत्र, पिता का शपथ पत्र व माता का सहमति पत्र पेश किया तथा वारिसनामा वावत स्टाम्प पेश किया गया। पैतृक सम्पति बाबत वादी द्वारा चक 1 एमकेएस वी के जमावन्दी संवत 2065 ता 68 के खाता सं0 70/60 की यासीन मोहम्मद के नाम की पेश की जो शामिल मिसल की गई।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादी का आपस में घरू बटवारां किया हुआ है, जिसको प्रतिवादी द्वारा अपने जबाबदावा में स्वीकार किया है। वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में माता का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। वादी के वाद को प्रतिवादी ने अपने जबाबदावा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के बाद दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा, शपथपत्र, वारिसनामा, गोदनामा, शपथ पत्र व सहमति पत्र, पैतृक सम्पति बाबत जमाबन्दी चक 1 एमकेएस वी जमावन्दी संवत 2065 ता 68 के खाता सं0 70/60 आदि का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी के नाम से दर्ज है।वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है।सहमति का जबाबदावा पेश होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है।वादी अपना वाद दस्तावेज व सहमति के आधार पर साबित करने में सफल रहा है।उपरोक्त मतानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी जाकिर हुसैन के नाम से चकनं0 1 एमकेएस बी के खाता सं0 37/80 में कुल 3.036 है0 आराजी नहरी मय गै0मु0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 1 एमकेएस बी के खाता सं0 37/80 में से प्रतिवादी जाकिर हुसैन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 .....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 138 / 2020

मोहम्मद कैफ दतक पुत्र जाकिर हुसैन नाबालिग जरिये कुदरती वली माता काफिया पत्नी रमजान मोहम्मद जाति कलाल निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

जाकिर हुसैन पुत्र यासीन मोहम्मद जाति कलाल निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री बनवारीलाल गौड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री रुपराम कांसनिया प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है किप्रतिवादी जाकिर हुसैन के नाम से चकनं0 1 एमकेएस बी के खाता सं0 37 / 80 में कुल 3.036 है0 आराजी नहरी मय गै0मु0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 1 एमकेएस बी के खाता सं0 37 / 80 में से प्रतिवादी जाकिर हुसैन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....X....निल.....X.मुब्लिक..X...निल.....X...बाबत्.....X....निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी